



कार्यालय नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

(हैरिटेज मुख्यालय भवन बडी चौपड़ हवामहल के पीछे जयपुर-01)



हैरिटेज क्रमांक : -एफ 0/आयुक्त (सा.प्र.)/ननिज (है)/24

दिनांक : 17-06-2022

कार्यालय आदेश

नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र के विशेष महत्व को देखते हुये पर्यटन एवं रोजगार को बढ़ावा देने की दृष्टि से शहर में स्थित विभिन्न होटलों, रेस्टोरेन्ट, बार एवं रुफटॉफ आदि का समय निर्धारण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित किये जाने हेतु नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उपविधियां/नियम बनाये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है।

1. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज – अध्यक्ष
2. उपायुक्त राजस्व द्वितीय/फायर – सदस्य
3. उपायुक्त राजस्व प्रथम – सदस्य
4. उपायुक्त सतर्कता – सदस्य
5. मुख्य लेखाधिकारी – सदस्य
6. उपविधि परामर्शी – सदस्य सचिव

उक्त कमेटी इस संदर्भ में नगर पालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत प्रावधानों अध्ययन कर अपनी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को 07 दिवस में प्रस्तुत करेंगे।

(अवधेश मीना)
IAS

आयुक्त
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु:-

1. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज
2. उपायुक्त राजस्व-प्रथम/द्वितीय/सतर्कता/फायर नगर निगम जयपुर हैरिटेज
3. मुख्य लेखाधिकारी नगर निगम जयपुर हैरिटेज
4. उपविधि परामर्शी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज
5. गार्ड फाइल।

आयुक्त

नगर निगम जयपुर हैरिटेज